27/1/25	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। उभय फरीकान पर वादिया स्वीकार किया जाता है। विरुद्ध आदेश शामिल किया जाकर तामील की जाती है। [illegible] से फैसला। आदेश सुनाया गया।	GCMS 2023/117

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:29:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार (आर. ए. एस.)

प्रकरण सं.– 161/2023 GCMS:- 2023/117 दायरा दिनाकः– 20.06.2023

प्रीती गोदारा पुत्री श्री सुन्दर सिंह जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं. 21 गोदारा कॉटन जिनीग एवं प्रेसिंग फैक्ट्री अनुपगढ तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।

–वादीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

– प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1. शिशपाल शर्मा अधिवक्ता – वादी
2. पैरोकारराज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 27.02.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुए। प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि वादीया ने यह वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीया के नाम से तहसील सूरतगढ़ की रोही उदयपुर उदासर पटवार हल्का उदयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता न. 27/27 के खसरा नं. 175/57 (पुराना खसरा नं. 57) में 8.222 हैक बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है इस रकबा में वादीया के नाम में गोदारा अंकित नही है। जो अंकित किया जाने योग्य है। तथा वादीया के नाम प्रीती गोदारा के आगे पुत्री सून्दर सिंह के पश्चात आज भी उसके स्व. पति श्यामसुन्दर का नाम अंकित है। उसमें से स्व. पति श्यामसुन्दर का नाम कलमजन योग्य है। वादीया की शादी दिनाक 19.06.2007 को रात्री में श्यामसुन्दर बिश्नोई साकिन आवासन मण्डल कलॉनी सूरतगढ़ के साथ हिन्दु रितिरीवाजो से हुई थी व दिनांक 20.06.2007 को (फेरो के बाद) यानी शादी के बाद सुबह अपने मायके रवाना होकर नयी नवेली दुल्हन के रूप में जब वादीया अपने विवाहित पति के साथ अनुपगढ़ से प्रथम बार सूरतगढ़ आ रही थी तो रास्ता में ही श्रीविजयनगर कस्बा में अनुपगढ़–सूरतगढ़ सड़क पर ही कार का एक्सीडेन्ट हो गया व वादीया के पति का उसी समय उसी स्थान पर देहान्त हो गया। वादीया का पति के स्वर्गवास के बाद उसका जीवनयापन अपने पिता के घर अनुपगढ़ में रहते हुए व्यतीत हो रहा है इसी दौरान वादीया को गहरा सदमा लगा जिसका प्रभाव काफी लम्बे समय तक वादीया के जीवन में रहा व वादीया का जीवन बसर भी अपने पिता सुन्दरसिंह के घर ही व्यतीत हुआ व इसी दौरान वादीया ने रोही उदयपुर उदासर पटवार हल्का उदयपुर की जमाबन्दी सॅवत 2070 ता 2073 के खाता नं. 1 के खसरा नं. 57 (वर्तमान खसरा 175/57) में 8.222 हैक बारानी खातेदारी रकबा दिनांक 12.05.2009 को रजिस्टर्ड बैयनामा से [illegible] इस बैयनामा में काबिज ने वादीया के पिता के नाम के पश्चात वादीया के [illegible]मसुन्दर का नाम भी लिख दिया जबकि वादीया कभी भी अपने पति [illegible] दस्तावेज में उसके पति स्व. पति श्यामसुन्दर का अंकि[illegible] में वादीया का नाम प्रीती पुत्री सुन्दरसिंह गोदारा पत्नी स्व. श्यामसुन्दर जाति बिश्नोई [illegible]सी अनुपगढ़ अंकित है इसलिए इस राजस्व रिकॉर्ड में वादीया का नाम प्रीती गोदारा पुत्री सुन्दरसिंह जाति बिश्नोई साकिन अनुपगढ़ दर्ज होने योग्य है व चालू

——लगातार पेज 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:29:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

जमाबंदी में उसके स्व. पति का नाम कलमजन योग्य है। वादीया का सही नाम प्रीती गोदारा पुत्री सुन्दरसिंह जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 21 अनुपगढ़ है व पहचान के तमाम दस्तावेजो आधार कार्ड—पहचान पत्र पैन कार्ड में भी वादीया का सही नाम प्रीती गोदारा पुत्री सुन्दरसिंह अंकित है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम केवल प्रीती दर्ज है इसलिए भी राजस्व रिकॉर्ड में योग्य है। वादीया के किसी भी पहचान के दस्तावेजो में उसके स्व. पति श्यामसुन्दर का नाम अंकित नहीं है यहाँ तक की वादीया की शादी का रजिस्टर्ड विवाह प्रमाण पत्र भी जारी नहीं हुआ परन्तु जैर प्रकरण रकबा के राजस्व रिकार्ड चालू जमाबंदी में वादीया के नाम व पिता के नाम के पश्चात वादीया के स्वर्गीय पति का नाम भी अंकीत है व वादीया का पुरा नाम प्रीती गोदारा दर्ज नहीं है तथा सही नाम अंकित ना होने से वादीया को प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना का लाभ लेने व बैक ऋण इत्यादि लेने में दिक्कत होती है तथा वादीया की दुसरी शादी हो जाने से नये पति का नाम दर्ज करवाने में दिक्कत होती है इसलिए भी वादीया के स्व. पति श्यामसुन्दर का नाम कलमजन योग्य है। इसलिए वादीया के नाम के उक्त खातेदारी रकबा में अंकित प्रीती पुत्री सुन्दरसिह गोदारा पत्नी श्यामसुन्दर जाति बिश्नोई साकिन अनुपगढ़ खातेदार के स्थान वादीया का सही नाम प्रीती गोदारा पुत्री सुन्द्ररसिंह जाति बिश्नोई साकिन अनुपगढ़ खातेदार अकंन की घोषणा की जाकर व राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार अंकन किये जाने का आदेश प्रतिवादी को दिया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी की और जवाब स्टेट पेश ना करने पर दिनाक 08.02.2024 को जवाब स्टेट बन्द किया गया व वादीया ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 151 सीपीसी पेश कर साक्ष्यवादी जरिये मुखत्यारआम सीताराम सारस्वत पुत्र श्री रामेश्वरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड न. 21, अनूपगढ़ तहसील व जिला अनूपगढ़ वर्तमान जिला श्रीगंगानगर पेश करने हेतु निवेदन किया गया जिसे अनुमति दी जाकर साक्ष्य वादी पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर साक्ष्य वादी जिरह प्रतिवादी द्वारा नही करने पर बन्द की गई व साक्ष्य प्रतिवादी पेश नही होने पर बन्द किये गये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यो का गहनता से अवलोकन किया गया। वादीया के नाम से तहसील सूरतगढ़ की रोही उदयपुर उदासर पटवार हल्का उदयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता न. 27/27 के खसरा नं. 175/57 (पुराना खसरा नं. 57) में 8.222 हैक बारानी खातेदारी भूमि में वादीया का नाम प्रीती पुत्री सुन्दरसिह गोदारा पत्नी श्यामसुन्दर जाति बिश्नोई साकिन अनुपगढ़ दर्ज है। वादीया के पति श्यासुन्दर का देहान्त हो चुका है। तथा वादीया के तमाम पहचान के दस्तावेजो में वादीया का नाम प्रीती गोदारा पुत्री सुन्दरसिंह अंकित है जो आधार कार्ड पहचान पत्र पैन कार्ड से पूर्णतया साबित है इसलिए वादीया के नाम के उक्त रकबा में वादीया का नाम प्रीती गोदारा पुत्री सुन्दरसिंह जाति बिश्नोई साकिन अनुपगढ़ दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वाद वादीया स्वीकार कर वादीया के नाम के उक्त वर्णित तहसील सूरतगढ़ की रोही उदयपुर उदासर पटवार हल्का उदयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता न. 27/27 के खसरा नं. 175/57 (पुराना खसरा नं. 57) में 8.222 हैक बारानी खातेदारी भूमि में वादीया का नाम प्रीती पुत्री सुन्दरसि[illegible] पत्नी श्यामसुन्दर जाति बिश्नोई साकिन अनुपगढ़ के स्थान पर वादीया का नाम प्रीती [illegible] पुत्री सुन्दरसिंह जाति बिश्नोई साकिन अनुपगढ़ खातेदार घोषित किया जाता है इसीलिए [illegible] तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को राजस्व रिकॉर्ड में अकंन करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:29:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(ओ0 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिकी ::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :– संदीप कुमार, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

प्रीती गोदारा पुत्री श्री सुन्दर सिंह जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं. 21 गोदारा कोटन जिनीग एवं प्रेसिंग फैक्ट्री अनुपगढ तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

–वादीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

– प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 – 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नं. 151 वर्ष 2023 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री शिशपाल शर्मा व पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है।

अतः वाद वादीया स्वीकार कर वादीया के नाम के उक्त वर्णित तहसील सूरतगढ़ की रोही उदयपुर उदासर पटवार हल्का उदयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता न. 27/27 के खसरा नं. 175/57 (पुराना खसरा नं. 57) में 8.222 हैक बारानी खातेदारी भूमि में वादीया का नाम प्रीती पुत्री सुन्दरसिह गोदारा पत्नी श्यामसुन्दर जाति बिश्नोई साकिन अनुपगढ़ के स्थान पर प्रीती गोदारा पुत्री सुन्दरसिंह जाति बिश्नोई साकिन अनुपगढ़ खातेदार घोषित किया जाता है, इसीनुसार तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को राजस्व रिकॉर्ड में अकंन करने का आदेश दिया जाता है।

नोज ....X.......... मुबलिग ....X.......... बाबत ....X.......... खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह ....X.......... फस्दो की पालना ....X.......... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें। बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनाक 27.02.2025 को जारी की गई।

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:29:48 IST
Reason: SelfAttested